

मंत्री शाह को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार: भारत कि सेना में परोसा जाती वाद का ज़हर, कर्नल सोफिया पर कि थी टिप्पणी

माफ़ी खारिज, एसआईटी जांच के आदेश

नई दिल्ली, १९ मई: (संवाददाता) मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता विजय शाह को सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी अब भारी पड़ गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए विजय शाह की ओर से दी गई माफ़ी को खारिज कर दिया है और इसे औपचारिक और असेवेदनशील बताते हुए अस्वीकार कर दिया। अदालत ने न केवल मंत्री को फटकार लगाई, बल्कि इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी (विशेष जांच दल) के गठन का आदेश भी दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि: कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय सेना की एक वरिष्ठ और अनुभवी महिला अधिकारी हैं। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंध' के पश्चात मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई की आधिकारिक और सटीक जानकारी प्रदान की थी। उनके इस पेशेवर कर्तव्य के बाद, मंत्री विजय शाह ने उनके विरुद्ध अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसकी चौतरफा आलोचना हुई। आम जनता, सोशल मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों ने इस बयान को महिलाओं के सम्मान और सेना की निष्पक्ष छवि पर आघात माना। अदालत की कार्यवाही: सुनवाई के दौरान जब मंत्री के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने माफ़ी मांग ली है, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उस माफ़ी को गैर-ईमानदार बताया और तीखा सवाल किया:



यह कैसी माफ़ी है? आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं। आपके शब्दों का प्रभाव होता है। हम औपचारिक माफ़ी से संतुष्ट नहीं हैं। यह केवल अदालत की अवमानना का मामला नहीं है, बल्कि यह महिलाओं, सेना और सार्वजनिक मूल्यों का अपमान है। अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आप अदालत में आकर माफ़ी मांग रहे हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। एसआईटी का गठन:

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया जाए, जिसमें तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होंगे, जिनमें से एक महिला अधिकारी होंगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सभी अधिकारी मध्य प्रदेश के बाहर से होंगे ताकि जांच निष्पक्ष हो। अदालत ने आदेश दिया कि यह एसआईटी २१ मई, मंगलवार तक गठित कर ली जाए और २८ मई २०२५ तक अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करे। जनता की प्रतिक्रिया और विधि विशेषज्ञों की राय: यह मामला केवल एक मंत्री की ज़बान से फिसलने अपशब्दों का नहीं, बल्कि उस गहराते खतरे का संकेत है जिसमें कुछ राजनीतिक हस्तियां सेना जैसे संवैधानिक संस्थानों को भी जातिवाद या सांप्रदायिक सोच से प्रभावित करने की कोशिश करती

हैं। कर्नल सोफिया जैसी ईमानदार और पेशेवर अफसर को निशाना बनाना, उनकी निष्ठा पर प्रश्न उठाना और उनके चरित्र को विवादास्पद बनाना न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि यह संविधान की आत्मा के भी विरुद्ध है। विधिक विशेषज्ञों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को महिला सम्मान, सैन्य प्रतिष्ठान की गरिमा और सार्वजनिक पदाधिकारियों की जवाबदेही के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक संदेश बताया है। निष्कर्ष: विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल एक व्यक्ति या एक बयान के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राजनीतिक वर्ग के लिए यह चेतावनी है कि वे सेना, न्यायपालिका और महिलाओं के सम्मान का सम्मान करें। यह निर्णय न्यायपालिका की गरिमा, पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट प्रतीक है।

वैद्यनाथ मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखते हुए हो विकास कार्य: मंत्री पंकजा मुंडे की सलाह

परळी वैजनाथ, १९ मई (प्रतिनिधि): उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आज परळी दौरे के दौरान वैद्यनाथ तीर्थक्षेत्र विकास योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर महाराष्ट्र की पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे ने सुझाव दिया कि वैद्यनाथ मंदिर परिसर में हो रहे विकास कार्य न केवल उच्च गुणवत्ता वाले हों, बल्कि मंदिर की पौराणिक और ऐतिहासिक गरिमा भी सुरक्षित रखी जाए।



गई, जिसमें विधायक धनंजय मुंडे, जिलाधिकारी विवेक जॉनसन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में पंकजा मुंडे ने कहा कि जब वे बीड की पालक मंत्री थीं, तब वैद्यनाथ तीर्थक्षेत्र विकास योजना की नींव रखी गई थी। उस समय १३३ करोड़ रुपये की राशि इस योजना के लिए स्वीकृत

की गई थी, जो बाद में बढ़ाकर २८६ करोड़ रुपये कर दी गई। इस योजना के तहत दर्शन मंडप, भक्त निवास, मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण और अन्य सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भक्तों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, और मंदिर की प्राचीनता और आध्यात्मिक गरिमा

को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी निर्माण कार्य किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मंत्री पंकजा मुंडे का सुबह ८ बजे शक्तिकुंज वसाहत के हेलिपैड पर हेलिकॉप्टर द्वारा आगमन हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी और महायुती के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने वालों में भाजपा शहराध्यक्ष उमाताई समशेट्टे, तालुकाध्यक्ष राजेश गीते, बंडू निर्मल, पूर्व तालुकाध्यक्ष सतीश मुंडे, वैद्यनाथ बैंक के अध्यक्ष विनोद सामत, विजय वाकेकर, संदीप लाहोटी, महादेव इटके, गणेश कराड सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कोई भी पात्र लाभार्थी घरकुल सर्वे से वंचित न रह जाए

आ.संदीप क्षीरसागर की प्रशासन को सख्त हिदायत

बीड, १९ मई (प्रतिनिधि): प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चल रहे सेल्फ सर्वेक्षण की अवधि को ३१ मई २०२५ तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में कई पात्र लाभार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं होने के कारण यह सर्वेक्षण करना कठिन हो रहा है। ऐसे में कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रह जाए, इसके लिए सभी ग्रामसेवकों को सख्त निर्देश दिए जाएं, ऐसी मांग बीड के विधायक संदीप क्षीरसागर ने प्रशासन से की है। आ. क्षीरसागर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत घरकुल योजना का लाभ पात्र ग्रामीण नागरिकों को मिल सके, इसके लिए मोबाइल

के माध्यम से सेल्फ सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। परंतु तकनीकी दिक्कतों और जानकारी के अभाव में कई पात्र लोग इस योजना से वंचित हो रहे हैं। अनेक ग्रामीण अशिक्षित हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं हैं, और तकनीकी ज्ञान की भी कमी है, जिससे उन्हें सर्वेक्षण करने में कठिनाई आ रही है। इन समस्याओं को देखते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि ग्रामसेवक गांव के ऐसे पात्र लाभार्थियों का सर्वे स्वयं करें, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी इस योजना से वंचित न रह जाए। उन्होंने यह सख्त निर्देश जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा के प्रकल्प संचालक, बीड और शिरूर (कासर) के गट विकास अधिकारियों को दिए हैं।



बीड से बाहर तक.....

हर तरफ negative energy का राज है। हर पार्टी ने नफरत को परोसा है, नई नस्ल में गुस्सा बे रहेमी अब नस नस में समा गई है। आसानी से पैसा कमाने के रास्ते बता दिए गए हैं, सब और शांति नाम के परिंदे को मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ने हि मिल कर खत्म कर दिया है।

अब ये negative energy जो हम ने हि हमारे नवजवानों में store कराई थी, उसे discharge तो होना है फिर उसके लिए उन्हें कोई article (कोई चीज) चाहिए हां ईसान कि हैसियत अब article कि कि हो गई है चाहे जंग का मैदान हो या गली का झगड़ा अब सिर्फ मार पीट और खुन खराबे से दिल नहीं भरता बल्कि इस काले करतुत को live video के जरिए दुनिया तक पहुंचना मर्दानगी समझी जा रही है।

इस भयानक बीमारी का ईलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं बल्कि समाज का संतुलन बरकरार रखने वाले हमारे संतों साधुओं शिक्षकों और मौलवियों के पास है लेकिन हमारे नए system ने उन्हें बचे हुए परिंदों को ठिकाने लगाने कि जिम्मेदारी दे रखी है

काजी मखदूम।
संपादक दैनिक तामीर
9270574444

मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के संचालक शेख तैय्यब ने की उपमुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात, शैक्षणिक कर्ज के लिए जमानतदार की शर्त रद्द करने की मांग

बीड, १९ मई (प्रतिनिधि): मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के संचालक तथा दैनिक सायं. बीड रिपोर्टर के संपादक शेख तैय्यब ने आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार से भेंट कर अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक कर्ज योजनाओं में सुधार की मांग की। उन्होंने शैक्षणिक कर्ज के लिए आवश्यक जमानतदार की शर्त को हटाने का निवेदन भी सौंपा। इस अवसर पर शेख तैय्यब ने अपने पिछले छह महीनों के कार्यों का रिपोर्ट भी उपमुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया।

शेख तैय्यब ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के पास न तो स्थायी संपत्ति होती है और न ही चल संपत्ति, जिससे वे जमानत नहीं दे सकते। यही वजह है कि कई जरूरतमंद छात्र शैक्षणिक कर्ज से वंचित रह जाते हैं। इसलिए कर्ज के लिए रखी गई मालमत्ता धारक व नोकरदार जमानतदार की शर्त को हटाया जाए, ऐसी मांग उन्होंने की।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि छात्रों के नाम पर सीधे कर्ज दिया जाए और यदि आवश्यक हो तो उनसे एक लिखित बॉन्ड लिया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार की नयी योजना का हवाला दिया जिसमें नए उद्यमियों को कर्ज देते समय केंद्र सरकार खुद जिम्मेदारी ले रही है। उन्होंने मांग की कि इसी तर्ज पर राज्य सरकार भी अल्पसंख्यक छात्रों के कर्ज की जिम्मेदारी ले और जमानतदार की बाध्यता

समाप्त करे।

शेख तैय्यब ने बताया कि महामंडल की स्थापना अल्पसंख्यक समाज के गरीबों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से की गई थी। सरकार की कई योजनाएं इस अंतर्गत चलाई जा रही हैं, लेकिन जमानत की शर्त गरीब छात्रों के लिए एक बड़ी बाधा बन रही है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि महामंडल इस दिशा में क्रांतिकारी निर्णय लेता है तो इससे अल्पसंख्यक समाज के गरीब विद्यार्थियों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति सुनिश्चित होगी।

उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज बीड जिले के दौरे पर हैं और परळी में आयोजित एक कार्यक्रम के अवसर पर शेख तैय्यब ने उनसे मुलाकात की और यह मुद्दे उनके समक्ष रखे।



उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

